

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-236/2025 दिनांक 24.08.2025)
***दिनांक-24.08.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

अवैध शराब निष्कर्षण/परिवहन/बिक्री के विरुद्ध कार्यवाही-

थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त सुदामा निषाद पुत्र स्व0 किशुनी निषाद सा0 चैनपट्टी खलवा टोला थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 45 पाउच बन्टी बबली टेट्रा पैक अवैध शराब बरामद कर थाना तरयासुजान पर मु0अ0सं0-267/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

हत्या के प्रयास के मामले में वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 19.08.2025 की सुबह थाना रामकोला क्षेत्र के राजपुर सेमरा गांव से रगडगंज जा रहे रोड पर बने पुलिया के नीचे एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला था जिसके गले व हाथ पैर पर धारदार वस्तु से हमला कर चोट पहुंचायी गयी थी। घायल व्यक्ति की पहचान हरिश्चन्द्र उर्फ गुटरु पुत्र फूलबदन उर्फ दहारी निवासी ग्राम परसौनी थाना घुघली जनपद महाराजगंज के रूप में हुई थी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रामकोला पर मु0अ0सं0 356/25 पंजीकृत किया गया था। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री निवेश कटियार के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी खड्डा श्री उमेश चन्द भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 24.08.2025 को थाना रामकोला पुलिस द्वारा घटना का अनावरण करते हुए संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पूछ-ताछ का विवरण-

पूछ-ताछ में अभियुक्त महेन्द्र प्रजापति पुत्र छेदी प्रसाद साकिन बसन्तपुर टोला बठौरा थाना घुघली जनपद महाराजगंज ने बताया कि घायल व्यक्ति हरिश्चन्द्र की शादी नरायना लक्ष्मीपुर थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर में 07 वर्ष पूर्व अभियुक्त ने ही कराया था। शादी के बाद से ही दोनों पति पत्नी में बनती नहीं थी और आपस में झगड़ा करते रहते थे। जिससे



हरिश्चन्द्र की पत्नी इससे अलग होकर अपने मायके में लगभग 1.5 वर्षों से निवास कर रही है। घायल हरिश्चन्द्र अभियुक्त महेन्द्र प्रजापति को अक्सर शादी गलत जगह कराने की बात को लेकर गाली गलौज देता रहता था जिससे परेशान होकर अभियुक्त महेन्द्र ने घायल व्यक्ति हरिश्चन्द्र को दिनांक 18.08.2025 की रात्रि में अपनी बाईक पर बिठाकर कप्तानगंज में दारु पिलाकर उसको थाना रामकोला क्षेत्र के राजपुर सेमरा नहर पुलिया के नीचे नशे की हालत में ले जाकर ब्लेड से जान से मारने की नियत से गले पर, हाथ पैर की नशो पर कट मारकर घायल कर मरा हुआ समझकर छोड़कर भाग गया था।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 356/25 धारा 109(1) ,238(ख) बीएनएस थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

महेन्द्र प्रजापति पुत्र छेदी प्रसाद साकिन बसन्तपुर टोला बठौरा थाना घुघली जनपद महाराजगंज

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक अदद ब्लेड

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राज प्रकाश सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 रंजीत सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
3. का0 रविन्द्र यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
4. का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा एक नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.08.2025 को थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा मु0न0 3544/2010 धारा 147/323/504/506/ भादवि से सम्बन्धित वारण्टी शंकर पुत्र भुलन निवासी झडवा थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



पंजीकृत अभियोग-

मु0नं0 3544/2010 धारा 147/323/504/506/ भादवि(मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत)

गिरफ्तार वारण्टी-

शंकर पुत्र भुलन निवासी झडवा थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धनवीर सिंह थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 चन्द्रजीत यादव थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 प्रभाकर मिश्रा थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर
4. का0 अरविन्द यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

थाना कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.08.2025 को थाना कोतवाली हाटा पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मु0नं0 व धारा-

मु0नं0 551/24 धारा 406/506 भादवि0

गिरफ्तार वारण्टी-

पन्नेलाल पुत्र चन्द्रभान यादव नि0 भलुही थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 रामसहाय चौहान थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 राजेश सिंह थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर
3. हे0का0 जितेन्द्र यादव थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 85 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।



कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-52 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-36, व्यक्ति-101
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(04)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-89)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

